न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 68/2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....*प्रार्थी*

बनाम

1. विक्रेता मैनेजर–श्री सुनिल कुमार गर्ग पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गर्ग, मै0 एयर प्लाजा रिटेल होल्डिंग प्रा0लि0 (विशाल) न्यू बेसमेन्ट, मोदी सेन्टर, एन.एच.–8, ब्यावर, अजमेर
2. मालिक–श्री प्रदीप कुमार सेन पुत्र श्री तेजमल, मै0 एयर प्लाजा रिटेल होल्डिंग प्रा0लि0 (विशाल) न्यू बेसमेन्ट, मोदी सेन्टर, एन.एच.–8, ब्यावर, अजमेर
3. फर्म विक्रेता–मै0 एयर प्लाजा रिटेल होल्डिंग प्रा0लि0 (विशाल) न्यू बेसमेन्ट, मोदी सेन्टर, एन.एच.–8, ब्यावर, अजमेर
4. डिस्ट्रीब्यूटर प्रो0 अनिल गुलाटी पुत्र श्री नरेन्द्रनाथ गुलाटी, मै0 गुलाटी एन्टरप्राईजेज, पुराने शिवमन्दिर के सामने, बिहारी गंज, नसीराबाद रोड़, अजमेर
5. मै0 गुलाटी एन्टरप्राईजेज, पुराने शिवमन्दिर के सामने, बिहारी गंज, नसीराबाद रोड़, अजमेर
6. नोमिनी निर्माता–गिरीशा नीमा (सेल्स मैनेजर) मै0 आई0टी0सी0 लि0 ऑफिस नं0 201, दुर्लभ चैम्बर्स, डी–24, पृथ्वीराज मार्ग, सी स्कीम, जयपुर
7. निर्माता फर्म–मै0 आई0टी0सी0 लि0 ऑफिस नं0 201, दुर्लभ चैम्बर्स, डी–24, पृथ्वीराज मार्ग, सी स्कीम, जयपुर

.....*अप्रार्थीगण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित :

श्री शिवांशु नवल एवं सुनिल पारीक वकील अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक–18.10.2022

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने मिसब्राण्ड मसाला मिक्स नूडल्स (यीपी ब्राण्ड सनफीस्ट) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 05.06.2015 को 01.40 पी.एम. पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मै0 एयर प्लाजा रिटेल होल्डिंग प्रा0लि0 (विशाल) न्यू बेसमेन्ट, मोदी सेन्टर, एन.एच.–8, ब्यावर, अजमेर पर पहॅुचे श्री सुनिल कुमार गर्ग (मैनेजर) पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गर्ग मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को मसाला मिक्स नूडल्स (यीपी ब्राण्ड सनफीस्ट) का विक्रय कर रहे थे। मौके पर लगभग 280 ग्राम के 24 पैकेट मसाला मिक्स नूडल्स (यीपी ब्राण्ड सनफीस्ट) के रखे हुए थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान मसाला मिक्स नूडल्स (यीपी ब्राण्ड सनफीस्ट) में मिलावट व मिथ्याछाप का शक होने पर उनमें से 8 पैकेट नमूना जाँच हेतु खरीदे एवं राशि रूपये 320/– रूपये श्री सुनिल कुमार गर्ग पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गर्ग को नगद देकर श्री आनन्द चौधरी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री सुनिल कुमार गर्ग को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने के पश्चात खरीदशुदा मसाला मिक्स नूडल्स (यीपी ब्राण्ड सनफीस्ट) के 280–280 ग्राम के 8 पैकेट में से 2–2 पैकेट धागे से बांधकर चार नमूने पैकेट बनाये व तैयार किये गये लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना पैकेट पर गोंद से चिपकाया। चारों नमूना पैकेट को अलग–अलग भूरे कागज में लपेटकर किनारों को गोंद से चिपकाकर डीओ के कोड क्रमांक ए–1073 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही कर प्रत्येक भाग को धागे से बांधा एवं सील चपड़ी लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप से होते हुए रेपर पेपर तक विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। तत्पश्चात लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते में लिया एवं कार्यालय पहॅुचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा माणक प्रयोगशाला, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर सत्यमेव जयते

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर एवं उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/6369–70 दिनांक 21.07.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एल.एस. 462/एक्ट/2015/463 दिनांक 16.07.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मसाला मिक्स नूडल्स (यीपी ब्राण्ड सनफीस्ट) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय में दिनांक 03.06.2016 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 03.06.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। परिवादी/प्रार्थी वरवक्त बहस अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से जवाब नोटिस पेश किया। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। वकील अप्रार्थी संख्या 6 व 7 ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद मे उन पर लगाये गये आरोपों को अस्वीकार करते हुए जवाब नोटिस में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तर्क स्पष्टतः दुर्नियोजित, गलत, भ्रामक एवं सारहीन है। उनका कथन है कि मैसर्स आई.टी.सी. लिमिटेड विश्वसनीय विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति किये गये कच्चे माल के साथ पिछले 12 वर्षों से सनफीस्ट यिप्पी नूडल्स को नियमित रूप से परीक्षण और अंशाकन राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रयोगशाला (एन.ए.बी.एल.) एवं अधिकृत जीवन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (एल.एस.टी.सी.) के आईटीसी के राज्य स्तर पर परीक्षण किया जाता है। इन सभी परीक्षणों में सनफीस्ट यिप्पी नूडल्स मय बैच जिसमें से नमूने अधिकारियों द्वारा कथित रूप से लिये गये थे, वे सभी खाद्य सुरक्षा मानकों, नियमों एवं अधिनियमों के अनुरूप पाये गये। उनके आगे कथन है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46(3) में दिये गये प्रावधानानुसार "खाद्य विश्लेषक द्वारा यह आवश्यक है कि वह विश्लेषण के लिये किसी नमूने की प्राप्ति की तिथि से 14 दिनों की अवधि में सैंपलिंग एवं विश्लेषण का तरीका दर्शाते हुए रिपोर्ट की चार प्रतियां प्रस्तुत करे किन्तु वर्तमान प्रकरण में विश्लेषण के लिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05.06.2015 को नमूना प्राप्त किया गया था जो कि पत्रावली के साथ संलग्न रसीद से स्पष्ट है लेकिन रिपोर्ट 46 दिनों की लम्बी अवधि के पश्चात दिनांक 21.07.2015 को प्रस्तुत की गई। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक द्वारा डेढ माह के असंगत एवं अनुचित विलम्ब के आधार पर ही प्रकरण खारिज योग्य है। वकील अप्रार्थी संख्या 6 व 7 ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि जिस प्रयोगशाला में खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूने का विश्लेषण किया गया है, वह राज्य केन्द्रीय लोक प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान है जबकि खाद्य विश्लेषक केवल उन्ही प्रयोगशालाओं में खाद्य नमूने का विश्लेषण कर सकता है जो कि एन.ए.बी.एल. द्वारा अधिकृत होने के साथ ही खाद्य प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.04.2015,

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

29.03.2016, 13.07.2016 एवं 04.12.2020 में प्रकाशित NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) की सूची एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.04.2012 से 17.08.2018 तक की सूची में उक्त प्रयोगशाला का नाम नहीं है। जैसा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(पी) में परिभाषित किया गया है कि "खाद्य प्रयोगशाला का आशय केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा कोई अन्य एजेन्सी द्वारा संस्थापित की गई कोई प्रयोगशाला अथवा संस्थान और परीक्षण और अंशाकन राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रयोगशाला द्वारा अधिकृत किया गया हो अथवा धारा 43 के अधीन खाद्य प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त एवं समकक्ष प्रमाणन एजेन्सी।" इस सम्बन्ध में उन्होने हमारा ध्यान डब्ल्यू.पी.एल./1688/2015 पर बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए आगे कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में मसाला मिक्स नूडल्स (यीपी ब्राण्ड सनफीस्ट) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अन्तर्गत मिसब्राण्ड खाद्य है किन्तु उनके द्वारा उक्त उत्पाद को रेकॉर्ड में बिना कोई ठोस कारण दर्शाये कि उन्होने क्यों नमूने को मिथ्या छाप वाला माना है, उक्त निर्णय पूर्णतया तथ्यों एवं कानून के विरूद्ध होने से प्रकरण निरस्त योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया कि डाई पैनी एवं मसाला मिक्स एक बन्द रिटेल पैकेज में एक ईकाई के रूप में एक साथ विक्रय किये जाते हैं। मसाला मिक्स पाउच एक प्रोपराईटरी फूड है एवं इसे पृथक से रिटेल उत्पाद के रूप में नहीं बेचा जा सकता है। मसाला मिक्स पाउच में स्थित समस्त अवयवों की जानकारी मसाला मिक्स नूडल्स (यीपी ब्राण्ड सनफीस्ट) के मूल पैकेट पर उपलब्ध है। मूल पैकेट को हटाये बिना मसाला मिक्स पाउच को नहीं निकाला जा सकता है। यह पैकेज खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम 2011 के अन्तर्गत अपेक्षितानुसार सभी आवश्यक घोषणा धारण करता है। मसाला मिक्स पाउच उक्त बंद रिटेल पैकेज का एक भाग है और यह स्पष्ट घोषणा करता है कि यह अलग–अलग विक्रय हेतु नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एवं लेबलिंग विनियम 2011 के नियम 2.2.1 एवं 2.2.2 की अपेक्षायें केवल "प्री पैक्ड फूड" के सम्बन्ध में है। प्री पैक्ड फूड की परिभाषा है कि "खाद्य जिसे किसी भी प्रकृति के पैकेज में इस प्रकार से रखा जाता है कि इसे बिना फाड़े इसके तत्व परिवर्तित नहीं किये जा सकते हैं और जो कि उपभोक्ता हेतु विक्रय के लिये तैयार है।" इससे स्पष्ट है कि मसाला मिक्स बाहरी पैक के बिना विक्रय के लिये नहीं है। अतः यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एवं लैबलिंग रूल्स, 2011 के नियम 2.2.1, 2.2.4 एवं 7 का उल्लंघन नहीं है। अन्त में उन्होने कथन किया कि मसाला मिक्स नूडल्स (यीपी ब्राण्ड सनफीस्ट) धारा 3(1)(zf)(C)(i) के साथ पूर्ण अनुपालना में निर्मित किये गये हैं। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही ड्रॉप की जावे। परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथन आधारहीन एवं बेबुनियाद है। वरवक्त निरीक्षण अप्रार्थीगण घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थे तथा न ही परिवादी द्वारा उनसे किसी भी खाद्य पदार्थ को वास्ते जांच लिया गया। उन्होने कथन किया कि पत्रावली में न तो उनकी कहीं उपस्थिति दर्ज है न ही उनके हस्ताक्षर अंकित है बल्कि समस्त कार्यवाही श्री सुनिल कुमार गर्ग की उपस्थिति में की गई है। अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

हमने वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाद्य विश्लेषक ने अपनी जांच रिपोर्ट में नमूना किस कारण से मिसब्राण्ड हुआ है, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। इस कारण केवल खाद्य विश्लेषक के लिख देने मात्र से अप्रार्थीगण के विरूद्ध मिसब्राण्ड का प्रकरण बनना नहीं पाया जाता है। परिवाद में वर्णित तथ्यों में परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहीं भी मिसब्राण्ड क्या है एवं किस कारण से है, इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा खाद्य विश्लेषक द्वारा भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। मसाला मिक्स नूडल्स (यीपी ब्राण्ड सनफीस्ट) एक Proprietary Food है जिसमें मसाला मिक्स पाउच को पृथक से रिटेल उत्पाद के रूप में नहीं बेचा जा सकता है एवं मसाला मिक्स पाउच से सम्बन्धित समस्त जानकारी मूल पैकेट पर उपलब्ध है जिसे हटाये बिना मसाला मिक्स पाउच को नहीं निकाला जा सकता है। मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के नियम 2.2.1 (1) व 2.2.2 (1) का किसी प्रकार से उल्लंघन प्रथम दृष्टया नहीं माना जा सकता है। वकील अप्रार्थी संख्या 6 व 7 का यह कथन कि जिस प्रयोगशाला में खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूने का विश्लेषण किया गया है, वह राज्य लोक प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान है जबकि खाद्य विश्लेषक केवल उन्ही प्रयोगशालाओं में खाद्य नमूने का विश्लेषण कर सकता है जो कि एन.ए.बी.एल. द्वारा अधिकृत होने के साथ ही खाद्य प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो, रेकॉर्ड एवं तथ्यों से परे है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 05.07.2011 से स्पष्ट किया गया है कि "मौजूदा सार्वजनिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालायें जो PFA के तहत खाद्य नमूनों का परीक्षण कर रही हैं, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 98 के तहत खाद्य परीक्षण के अपने कार्य को जारी रखेंगी, जब तक कि अधिनियम की धारा 43 के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है।" इस प्रकार लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर खाद्य नमूने के विश्लेषण हेतु अधिकृत प्रयोगशाला थी। इसके अतिरिक्त परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वरवक्त बहस उपस्थित नहीं रहने के कारण राज्य सरकार की ओर से पक्ष नहीं रखा जा सका है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि परिवादी/प्रार्थी पक्ष अप्रार्थीगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 26 एवं 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियमावली 2011 को साबित करने में असफल रहे हैं। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण एवं साबित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण/आरोपी पक्ष द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में उठाई गई उपरोक्त आपत्तियों एवं स्पष्टीकरण के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट दिनांक 16.07.2015 में वर्णित विनियम की उल्लंघनता का आरोप संदेह रहित तौर पर प्रमाणित नहीं है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस निरस्त करते हुए प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जब भी वह न्यायालय हाजा में प्रकरण प्रस्तुत करें, तब प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी लेकर प्रस्तुत करें एवं वरवक्त बहस न्यायालय में उपस्थित रहकर सरकार की ओर से पैरवी करें। अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने हेतु लिखा जायेगा। इसके साथ ही

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

अप्रार्थीगण को भी निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में उन्हे डाई पैनी व मसाला मिक्स के पाउच पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एवं लेबलिंग रूल्स, 2011 की पालना में घोषणा अंकित करें ताकि उपभोक्ता के हित की रक्षा हो सके एवं उपभोक्ता को ज्ञान हो कि वे क्या खा रहे हैं। आदेशों की पालना सख्ती से की जावे।

आदेश आज दिनांक 18.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2022/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर
2– अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर
3– मै0 आई0टी0सी0 लि0 ऑफिस नं0 201, दुर्लभ चैम्बर्स, डी–24, पृथ्वीराज मार्ग, सी स्कीम, जयपुर (निर्माता फर्म)
4– गिरीशा नीमा (सेल्स मैनेजर) मै0 आई0टी0सी0 लि0 ऑफिस नं0 201, दुर्लभ चैम्बर्स, डी–24, पृथ्वीराज मार्ग, सी स्कीम, जयपुर (नोमिनी निर्माता)
5– श्री सुनिल कुमार गर्ग पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गर्ग, मै0 एयर प्लाजा रिटेल होल्डिंग प्रा0लि0 (विशाल) न्यू बेसमेन्ट, मोदी सेन्टर, एन.एच.–8, ब्यावर, अजमेर (विक्रेता मैनेजर)
6– श्री प्रदीप कुमार सेन पुत्र श्री तेजमल, मै0 एयर प्लाजा रिटेल होल्डिंग प्रा0लि0 (विशाल) न्यू बेसमेन्ट, मोदी सेन्टर, एन.एच.–8, ब्यावर, अजमेर (मालिक)
7– प्रो0 अनिल गुलाटी पुत्र श्री नरेन्द्रनाथ गुलाटी, मै0 गुलाटी एन्टरप्राईजेज, पुराने शिवमन्दिर के सामने, बिहारी गंज, नसीराबाद रोड़, अजमेर (डिस्ट्रीब्यूटर)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर